न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 28/2019 निर्णय दिनांक 18-3-26
जीसीएमएस संख्या (2019/00318)

1. खीवणी बेवा हनुमानराम
2. आसकरण
3. पुखराज
4. बजरंग
5. मनोज
6. बाबूलाल

पिसरान हनुमानराम जाति सेवग निवासीगण झंझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. मु. जसौदा बेवा मूलचंद
2. राजकुमार
3. सुन्दरलाल
4. मनोज
5. संतोष
6. मंजू
7. बिजू

पुत्र पुत्रियॉ मूलचंद सेवग निवासी झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 27–06–2019
उपखण्ड़ अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक रेस्पेडेन्ट संख्या 1, 3 व 4
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 27–06–2019 जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र को लौटाने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किये कि ग्राम झझू तहसील कोलायत स्थित राजकीय खसरा नम्बर 29 रकबा 75 बीघा अपीलान्टान के पिता/माता हनुमान एंव उसके भाई मूलचन्द रेस्पोडेन्ट के पिता/पति ने सयुक्त रूप से तारीख 19.06.1962 को आवंटित हुई। तथा कब्जा प्राप्त कर लिया जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2020 से 2024 के खाता खतोनी संख्या 625 पर हनुमान मूलचन्द पिसरान लिछमन सेवग के नाम से अंकित है। आंवटित 75 बीघा भूमि में से आधा हिस्सा पश्चिम अपीलान्टान के पिता/माता हनुमान के कब्जा काश्त में रखा जिसमे उसकी ढाणी झोपडी आदि बनाई हुई है तथा पूर्व हिस्सा मूलचन्द रेस्पोडेन्टान के पिता के हिस्से मे रखा गया जिसमें उसकी ढाणी बनी हुई है अपीलान्टान एव रेस्पोडेन्टान के दोनों के हिस्सों के बीच में से राजकीय कटाणी मार्ग झझू से कोलायत विभाजित करता है। खसरा नम्बर 29 का क्षेत्रफल काफी बडा होने से इसमें कई अलॉटियान को भूमि आवंटित की गई जिनका मिन नम्बर बनाकर खाते में दर्ज किये गये जिसके अनुसार वादगत भूमि के नये नम्बर 1221/29 मिन रकबा 75 बीघा बनाये जाकर जमाबन्दी सवंत् 2023 से 2031 में अकेले मूलचन्द का नाम जमबान्दी में अंकित कर दिया जिसके आधार पर आगामी जमाबन्दी में उसका नाम अंकित होता आ रहा था ये सारे अंकन अवैध एव विधि विरूद्ध होने के कारण अपीलान्टान के अधिकारों की हद तक अवैध एव निष्प्रभावी है, जिनकों निरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में सन् 2000 में दावा घोषणात्मक दुरूस्ती रिकार्ड एंव निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन चला आ रहा है। इन अवैध अकनों के आधार पर रेस्पोडेन्टान द्वारा सन् 2015 में अपीलान्टान के हक व हिस्से कि भूमि में जबरन प्रवेश करके उन्हे बेदखल करने तथा भूमि को विक्रय करने की कोशिश करने तथा अपीलान्टान के साथ मारपीट करने के कारण फोजदारी मुकदमे हुये। तथा रेस्पोडेन्टान के द्वारा अपीलान्टान की पुरानी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ढाणी को जला दिया था व जबरर्न कब्जा करने की कोशिश की इसका भी फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया है जो विचाराधीन है, परन्तु फिर भी रेस्पोडेन्टान द्वारा दिंनाक 03.07.2015 को अपीलान्टान को ऐलानिया धमकी दी की वर्षा होते ही वह लोग अपीलान्टान को जबरन बेदखल करके कब्जा छिन लेगे और भूमि जबरन कब्जा करेगे इस पर अपीलान्टान ने अधिनस्थ न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निषेधाज्ञा की मांग कि जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिंनाक 09.07.2015 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की गई थी कि मौके व राजस्व रेकार्ड कि यथा स्थिति बनाई रखें दौराने सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर कायम हो जाने पर सशोद्धित निषेधाज्ञा दिंनाक 28.08.2015 को जारी कि गई थी। दौराने दावा ग्राम झझू में सेटलमेन्ट कार्य शुरू होने पर गत खसरा नम्बर 1221/29 गिन रकबा 75 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 71 रकबा 11.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 7.59 कि कुल 18.97 हैक्टेयर कायम हुये। अपीलान्टान का दावा अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था तथा जिसमें प्रतिवादीगण की जिरह मे चल रही थी इसी दौरान यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था इस प्रार्थना पत्र के नोटिस कि तामिल होने पर रेस्पोडेन्टान अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित आ गये थे तथा रेस्पोडेन्टान द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी का प्रस्तुत किया था जिस का जबाब अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत कर दिया था तथा दोनो पक्षो कि बेहस सुनकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्टान द्वारा कोई अपील अथवा रिवीजन नहीं कि इस लिए यह आदेश फाईनल हो चुका था। इसके पश्चात रेस्पोडेन्टान द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर दिया था एंव पत्रावली प्रार्थना पत्र के फाईनल बेहस में चल रही थी परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य कि और कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश प्रसारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि मूल बाद व टी आई कि पत्रावली राजस्व मण्डल में तलब कर ली गई है इस लिये यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, यह तर्क अधिनस्थ न्यायालय का गलत है क्योंकि रेस्पोडेन्टान द्वारा दावे में जिरह नही करके जानबुझकर राजस्व मण्डल में दिनाक 15.04.2015 के आदेश के विरूद्ध रिविजन प्रस्तुत कि गई है उसमें पत्रावली तलब कि गई जबकि दावे का कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है इस लिये दौराने दावा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय को सुनने का एंव उसका अन्तिम निस्तारण करने का पूर्ण अधिकार हासिल है जिसका ज्ञान अधिनस्थ न्यायालय को होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह अंकित किया है पूर्व में प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जा चुका है इस लिये अब नया प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है यह कथन विधि के सिद्धातों के विरूद्ध किया गया है जबकि कानून कि अनुसार नई परिस्थियों में नया प्रार्थना पत्र लगाया जा सकता है। पूर्व मे जो निषेधाज्ञा जारी कि गई थी वह केवल विक्रय नही करने कि बाबत् जारी कि गई थी। रेस्पोडेन्टान द्वारा अपीलान्टान को जबरन बेदखल करके कब्जा छिनने कि धमकी देने के कारण अधिनस्थ न्यायालय में नये कॉज के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे सुनकर अन्तिम निर्णय करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी पाबन्दी नही है परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय में इस कानूनी तथ्य की और गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड़ अधिकारी, कोलायत दिनांक 27–06–2019 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 2023(4) पेज 58, डीएनजे 2004 (1) पेज 333 का उल्लेख किया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट द्वारा एक दावा न.मु. 59/2000 प्रस्तुत किया गया था जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21–10–2011 को कन्फर्म किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23–03–2007 को अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की गई थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा उसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई। वर्तमान में निगरानी राजस्व मण्डल में जैरकार है। जहॉ दोनो पक्षकार समान हो और वही भूमि हो और दावा विचाराधीन किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वो पक्षकार उस भूमि को लेकर अन्य दावा पेश नही कर सकत है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी बाबत मामला राजस्व मण्डल में विचाराधीन है परन्तु अपीलांट द्वारा उसी भूमि बाबत एक अन्य अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कथन नही किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दू रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बनते है। अपीलांट को नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के आलोक में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया, न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश इस आधार पर पारित किया है कि धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र दुबारा नही लाया जा सकता।

हस्तगत अपील में न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर विनिश्चय किया जाना है कि क्या धारा 212 आरटीए के तहत दुबारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा नही?

इस संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 2023 (4) पेज 058, डीएनजे 2004(1) पेज 333 का अवलोकन किया गया। इनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवर्तित परिस्थितियों एवं नये कोज ऑफ एक्शन उत्पन्न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु दूसरा प्रार्थना पत्र लाने की मनाही नही है।

अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह देखना था कि क्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 212 आरटीए के दूसरे प्रार्थना पत्र में ऐसी बदली हुई परिस्थितियों का उल्लेख है जिससे प्रकरण में नया वाद हेतुक उत्पन्न होता हो अथवा नही? इस आधार पर धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जाना था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर लौटा दिया कि न्यायालय में धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र दुबारा प्रस्तुत नही किया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक रूप से उचित नही होने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकती।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत का निर्णय दिनांक 27–06–2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 18-3-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर